राष्ट्र के विकास में विपदा से प्रभावित लोगों को जोड़ने का प्रयास

विपदा निवारण

सलाहकार समिति

डॉ. रानेन्दु घोष, इसरो • श्री अमर ज्योति नायक, एक्शन एइड इन्डिया • श्री किरन सोनी गुप्ता, जोधपुर डिविज़नल कमिशनर • श्री दीपक भारती, एस.एस.वी.के. • डॉ. आई. अरूल अरम, अन्ना युनिवर्सिटी • डॉ. अवधेश के. सिंह, लखनऊ युनिवर्सिटी • श्री एस. के. सिंह, एन.आई.आर.डी.

सिर्फ निजी और शैक्षणिक हेतु वितरण के लिये

अंक — ६२

मार्च — २००८

आपके अपने जोखिम प्रबंधन की सीख

एशियाई विपदा कम करनेवाले प्रशिक्षण से कुछ ज़रूरी बातें

- विपदा कम करने का अभिगम और सी.बी.डी.आर.एम. का निर्देशन बिंदु
- विपदा जोखिम प्रबंधन के मूल में समुदाय
- समुदाय की क्षमता विकास के प्रयास
- समुदाय के सशक्तीकरण के लिए विपदा जोखिमों की जानकारी
- वर्ष २००४ के सूनामी के बाद तमिलनाडु में सुरक्षित आजीविका प्रथा

इस अंक में...

१. **विचार**
देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित बिहार राज्य और वर्ष २००७ की बाढ़ में सामुदायिक जोखिम प्रबंधन २
२. **विपदा एवं अभिगम**
विपदा कम करने का अभिगम और सी.बी.डी.आर.एम. का निर्देशन बिंदु ३
३. **विपदा एवं सामुदायिक प्रबंधन**
विपदा जोखिम प्रबंधन के मूल में समुदाय ४
४. **विपदा एवं प्रयास**
समुदाय की क्षमता विकास के प्रयास ६
५. **विपदा एवं असरकारक पहल**
नीति एवं सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से पक्ष-समर्थन ८
६. **विपदा एवं व्यावसायिक विकास**
समुदाय के सदस्यों को उनके व्यवसाय के विकास में सहायक सूक्ष्म वित्त ९
७. **विपदा एवं सशक्तीकरण**
समुदाय के सशक्तीकरण के लिए विपदा जोखिमों की जानकारी १०
८. **विपदा एवं आजीविका सुरक्षा**
समुदायों के सुदृढ़ीकरण में आजीविका की सुरक्षा का महत्त्व ११
९. **विपदा एवं सुरक्षित आजीविका**
वर्ष २००४ के सूनामी के बाद तमिलनाडु में सुरक्षित आजीविका प्रथा १३
१०. **विपदा एवं अभिप्रेरणागत उदाहरण**
राष्ट्रीय विपदा पूर्व तैयारी से समुदायों को अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए : बंगलादेश का उदाहरण १४
११. **विपदा एवं पुनः प्राप्ति**
सी.बी.डी.आर.एम. के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समुदायों की पुनः प्राप्ति १५
१२. **अंत नहीं, आरंभ**
जोखिम संबंधित आधारभूत ज्ञान से आपको मदद मिल सकती है कि क्या करना चाहिए? १६

देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित बिहार राज्य और वर्ष २००७ की बाढ़ में सामुदायिक जोखिम प्रबंधन

गंगा नदी बिहार प्रदेश के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और बिहार प्रदेश को दो भागों में सीमांत की तरह विभक्त करती है। इन दोनों भागों में गंगा के उत्तरी भाग को उत्तर बिहार और दक्षिण भाग को दक्षिण बिहार कहा जाता है। दक्षिण बिहार के कई जिले अब झारखंड राज्य में चले गए हैं। उत्तर बिहार आठ प्रमुख नदियों की तलहटी में स्थित है। ये नदियाँ है : घाघरा, गंडक, बूदी गंडक, रागमती, अधवारा नदी समूह कमला, कोशी और महानंदा। ये सभी नदियाँ गंगा में मिलती है और प्रमुख बहार पथ का निर्माण करती है। इन नदियों का उद्‌गम स्थल तथा जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल है। हिमालय से उद्‌गम के कारण इन नदियों से शिल्ट अधिक आता है और तटबंधों के टूटने का यह एक प्रमुख कारण है। वर्ष १९५४ से पहले बिहार में मात्र २३४ कि.मी. रांध थे जो अब करीब बढ़कर ३४२० किलोमीटर हो गया है। वर्ष २००७ की बाढ़ : पिछले वर्ष १९८७ तथा वर्ष २००४ की बाढ़ के रिकार्ड को तोड़ते हुए धीरे-धीरे कमला नदी की उफान ने मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के दर्जनों खाई पर कमला नदी के पश्चिमी तटबंध को रातों रात ध्वस्त कर दिया और तबाही मचा दी। लोग ऊँचे स्थानों पर, पेड़ों पर, टीलों पर, रात गुजारने को मजबूर थे। नीचे बाढ़ का पानी और उपर धमाशान वर्षा। न कोई अशियाना न कोई ठौर ठिकाना।

कमला नदी के तटबंध टूटने से मधुबनी जिले के २० प्रखंड में लखनौर प्रखंड के कुछ गाँव तथा दरभंगा जिले के किरतपुर प्रखंड बूरी तरह प्रभावित थे। सरकारी राहत शून्य थी परंतु घोषणाओं का अंबार लगा था। ऐसी कठिन घड़ी में ऑल इन्डिया डिज़ास्टर मिटिगेशन इन्स्टिट्यूट ने पहल की और सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र (एस.एस.वी.के.) झंझारपुर के साथ मिलकर तुरंत जरूरी सामानों का आयोजन तैयार किया और राहत की मदद की। खाने के सामान से लेकर पोलीथीन, कंबल, पांवाहार आदि सामानों की मदद बाढ़ पिड़ितों के बीच ए.आई.डी.एम.आई. तथा एस.एस.वी.के. द्वारा की गई। बिहार विपदा प्रबंधन विभाग की पूर्व तैयारी सिर्फ अखबारों के माध्यम से घोषणाओं में ही रही। महिनों बच्चे, बूढ़ें, औरतें स्वच्छ पानी और अन्न के बिन भूखे प्यासे बिलिबलाते रहे। बिहार के ३८ जिलों में अकेले दरभंगा जिले में १०० जानें गई परंतु सरकार ५० मौत से ज्यादे मानने को तैयार नहीं थी। हिन्दुस्तान अखबार मित्र सतीश ने अब १०० मौत की सूची प्रकाशित की तब जाकर सरकार मानने पर मजबूर हुई।

बाढ़ के दौरान जहाँ सरकारी स्तर पर सिर्फ बैठकों का दौर चलता रही वहीं एस.एस.वी.के. के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को यथासंभव मदद का प्रयास करते रहे। जरा कल्पना किजिए जमीन पर बाढ़ का पानी हो, नाव उपलब्ध नहीं हो, रास्ता कटा हो, पानी, दवाखाना नहीं हो और उपर से लगातार कुछ घंटे रूककर बारिश होती रही। बच्चे क्या, जवान क्या, महिलाएँ क्या, कई लोग बुखार में तप रहे होते हैं। उपर से आशियाना न हो, वह रात कितनी भयानक होगी। बिहार की बाढ़ अब बिहार का शोक-गीत बन चुकी है। सरकार की बांध/डैम बनाने की गलत नीति के कारण आम लोग हर वर्ष बाढ़ में डुबते हैं, पलायन करते हैं और कर्ज में डूबकर पुस्त दर पुस्त सूदरवोरों के चंगुल में फंस जाते है, १२० प्रतिशत सालाना व्याज देकर। बाढ़ स्थायी समस्या है और इसीलिए लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ा जा सकता है। यह मानवाधिकार का सवाल है। ऐसे में एस.एस.वी.के. एवं ए.आई.डी.एम.आई. की दूरगामी सोच के तहत उनके सहयोग एवं आजीविका वास्ते समुदाय के साथ मिलकर कार्यक्रम बना रही है।

विकास के नाम पर जहाँ बाँध ने मुसीबतें बढ़ाई है वहीं गाँवों में पंचायतों के द्वारा जो सड़क/खरंजा बनाया गया है और उसमें पानी निकासी (ड्रेनेज) की व्यवस्था नहीं की गई है, परिणाम स्वरूप वर्ष १९५४ से पहले बाढ़ का पानी सिर्फ ३-६ दिन रूकता था और वापस चला जाता था परंतु अब ३-६ दिन के बजाय उसे ६ महिना बाढ़ का पानी गाँवों में जमा रहता है। यह है विकास मॉडल का कुरुप रूप। ■

– दीपक भारती,

राष्ट्रीय संचालक, लोक शक्ति संगठन, नागेश्वर कॉलोनी पटना, बिहार

विपदा कम करने का अभिगम और सी.बी.डी.आर.एम. का निर्देशन बिंदु

इस प्रथा को प्रोन्नत्त करने में एक दशक से अधिक समय तक कार्य करने के अनुभव के साथ मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि मुझे ए.आई.डी.एम.आई. के इस प्रकाशन में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का मौका मिला है। समुदाय आधारित विपदा जोखिम प्रबंधन (सी.बी.डी.आर.एम.) अभिगम संशयवाद के युग से लेकर दीर्घकालीन समय तक वास्तव में रहा जिसे वर्ष १९९० के दशक के मध्य में गैर सरकारी संगठनों ने अपनाया तथा पहले की आई.डी.एन.डी.आर. प्रणाली में विज्ञान एवं तकनीक को कार्यसूची में शामिल किया गया।

या फिर यह अब है क्या? विपदा जोखिम न्यूनीकरण की राजनीतिक कार्यसूची में सी.बी.डी.आर.एम. कहाँ है? क्या हममें एक आम दृष्टि विकसित हुई है जिससे यह पता लगा सकते है कि हम सी.बी.डी.आर.एम. प्रथा के साथ कहाँ चल रहे है? वह समझ सकें।

मुझे याद आता है कि सी.बी.डी.आर.एम. प्रथा उस समय आरंभ हुई थी जब प्रमुख प्रतिमान आपातकालीन राहत सहायता विषयक व्यवस्था थी जिसमें असरग्रस्त समुदायों को असहाय 'पीड़ितों' के रूप में देखा जाता था। कुछ देशों में तो, सी.बी.डी.आर.एम. का उपयोग भी किया जाता था जहाँ ढाँचागत न्यूनीकरण उपाय प्रमुख रूप से पदाधारियों की कार्यसूची में सांकेतिक रूप से समुदाय की भागीदारी के साथ होते थे जिसके माध्यम से यह प्रदर्शित करना होता था कि बाढ़ नियंत्रण एवं अन्य गैर ढाँचागत उपायों आदि में लोगों की राय ली गई थी।

इस आलेख में पाठकों को अनुभवों की विविधता देखने को मिलेगी। इससे विपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में समग्रतः कि गई सी.बी.डी.आर.एम. प्रथा की प्रवर्धित महत्ता सिद्ध होगी। इस अंक में, हमें सूक्ष्म वित्त, दीर्घकालीन आजीविका, आनुषंगिक योजना, पहल, विपदा के बाद के समुत्थानगत कार्य, एवं उसके आगे सतत रूप से उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग देखने को मिलते है। इस सभी का श्रेय ए.आई.डी.एम.आई. एवं उन नागरिक समाजों को जाता है जिन्हों ने इस आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने की पहल की। इस अंक में सी.बी.डी.आर.एम. के निरंतर पक्ष में सभी अच्छी बातों को प्रस्तुत किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय एवं सरकारी अधिकारी जैसे लोग की यह धारणा बन गई होगी कि सी.बी.डी.आर.एम. प्रथा को निरंतर आगे चालू आखिर कैसे रखा जा सकता है, वे इस संबंध में इस बात को ध्यान में रखें कि सी.बी.डी.आर.एम. में अच्छी प्रथाओं के होने के बावजूद भी यह अभिगम विपदा जोखिम प्रबंधन कार्यसूची के अन्य क्षेत्रों के साथ स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों रूप में संसाधनों की कमी होने के कारण निरंतर संघर्षरत होता है। अत्याधिक अल्प मात्रा में बहुत थोड़े ही संसाधनों के व्यापक एवं पूर्व क्रियाशील रूप में विपदा जोखिम प्रबंधन हेतु आवंटित किए जाने के कारण यह अप्रत्याशित ही है कि सी.बी.डी.आर.एम. के भविष्य के कार्यों को सही रूप में दिशा देने के लिए संसाधनों की राजनीति होती है। सी.बी.डी.आर.एम. के जन प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं को विधि निर्माण, निधिकरण, प्रशिक्षण, भागीदारी, सूचनाओं में भागीदारी तथा अन्य आवश्यक प्रणालियों के माध्यम से इसकी पहल की दिशा में निरंतर प्रयास करने चाहिए।

एशिया में हुए हमारे अनुभव से यह सिद्ध होता है कि सी.बी.डी.आर.एम. का सर्वप्रथम वहाँ व्यवस्थित रूप से उपयोग हुआ था (हालाँकि असुरक्षित स्थिति में रहनेवाले समुदायों में यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी) तथा इसकी माँग भी खूब है। साथ ही, आपातकालीन सहायता कार्य, खोज एवं बचाव तथा शहरी योजना हेतु यू.एन. एवं सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण के पक्ष में आदाताओं ने ध्यान केन्द्रित किया था। कोई भी यह प्रश्न करेगा – "सी.बी.डी.आर.एम. के प्रति संसाधनों के धारकों की चालू एवं भविष्य के प्रति क्या वचनबद्धता है?"

इस प्रकाशन के सहयोगियों से सी.बी.डी.आर.एम. हेतु प्रवर्तित निधिकरण का संकेत मिलता है। निश्चित रूप से, विद्यमान प्रणालियों के बावजूद भी यह सर्वस्वीकृत समझने योग्य बात है कि गरीब समुदायों के पास संसाधनों की कमी होने के कारण उन पर विपदाओं का असर कुछ अधिक ही पड़ता है। निधिप्रदाता संस्थाओं द्वारा और अधिक निधि देने के अवसरों के साथ ही, इस क्षेत्र में कार्यरत लोग सी.बी.डी.आर.एम. को दूरदृष्टि की भली भाँति परख कर सकते है। क्या हमें बाहरी सहायता से आत्मनिर्भरता या आगे की पराश्रितता को बढ़ावा देना चाहिए? हमें किन सिद्धांतों को सीखने की ज़रूरत है जिनके आधार पर हमें भविष्य में मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

हमें यह बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि विपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बढ़–चढ़कर चलाने की ज़रूरत है। जैसा कि इसके एक आलेख में संकेतित है, तद्नुसार हमें ऐसे और आर्थिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यापक स्तर पर ज़रूरत है जो सी.बी.डी.आर.एम. हेतु मानक दिशा-निर्देशों का उपयोग आगे भविष्य में करेंगे। कई सूनामी प्रभावित देशों में, इस प्रथा का अनुसरण करनेवाले गैर सरकारी संगठनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक सरकारी अधिकारी ने असंतोष व्यक्त करने के स्वर में इसे 'सी.बी.डी.आर.एम. की अतिशयता' भी कहा। मैं अपने अनुभव के आधार पर तो यह कह सकता हूँ कि, इन संस्थाओं को यदि विशिष्टता की दृष्टि से न देखा जाए तो इनकी संख्या में नाटकीय मोड़ आने के समान वृद्धि हुई है। फिर भी, अप्रत्याशित रूप से इनके बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है; समुदायों के साथ कार्य करने की सक्रियता एवं संसाधनों की राजनीति में भी इजाफा हुआ है। इससे पुनः आगे प्रभावी रूप से इस दिशा में सोचना होगा तथा असर भी पड़ेगा कि अगले कुछ वर्षों में किस अभिगम को मुख्य रूप से अपनाया जाए। हमें यहाँ से आगे आखिर जाना कहाँ है? ■

– सन्नी आर. जेगीलॉस,

क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय केन्द्र, बैंगकॉक

विपदा जोखिम प्रबंधन के मूल में समुदाय

यह भी कभी सड़क थी?

विपदाओं का उत्कृष्ट रूप से प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? सरकार, समुदाय एवं लोग किस तरह से विपदाओं के जोखिमों में कमी ला सकते है तथा प्रभावी कार्य एवं निवारक उपाय किस तरह से कर सकते है?

विगत दो दशकों में, विकास एवं विपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में कार्य करनेवाले लोगों ने अपने कार्यों में समुदायों को बढ़चढ़कर शामिल करने के प्रयास किए है। उनके इन प्रयासों में दीर्घकालिक परिणाम एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए नीचे के स्तर से ऊपर तक के कार्य करने विषयक पहल को अधिक प्रभावी रूप में कारगर देखा गया है। ठीक इसी तरह, समुदाय के सदस्यों की विपदा जोखिम प्रबंधन एवं योजना बनाने में भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

१९८० के दशक में, एशियन डिज़ास्टर प्रेपिर्डनेस सेन्टर (ए.डी.पी.सी.) ने ए.आई.डी.एम.आई. या दुर्योग निवारण की भाँति दक्षिण एशिया के संगठनों के साथ संयुक्त रूप से एक पाठ्यक्रम मॉडल तैयार किया तथा समुदाय आधारित विपदा जोखिम प्रबंधन के प्रयासों के केन्द्र में स्थानीय समुदायों को रखने तथा उसमें उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करने के उद्देश्य से सत्रों का आयोजन किया।

सी.बी.डी.आर.एम. का अर्थ क्या है?

सी.बी.डी.आर.एम. शब्द संक्षेप समुदाय आधारित विपदा जोखिम प्रबंधन (कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर्स रिस्क मैनेजमेन्ट) के लिए प्रचलित है तथा इसके अंतर्गत उस प्रक्रिया को निरुपित किया जाता है जिसमें जोखिम की दहलीज पर स्थित समुदायों को उनकी असुरक्षितता में कमी लाने तथा उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु विपदा जोखिम की पहचान, विश्लेषण, निराकरण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन के कार्य में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। इस बात पर विचार करें तो इसका अर्थ यह है कि समुदाय के लोग विपदा जोखिम प्रबंधन विषयक कार्यों को करने एवं निर्णय लेने में केन्द्र में होते है। इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए उन सभी अत्याधिक असुरक्षित स्थिति में रहनेवाले सामाजिक समूहों को, जिन्हें प्रायः सार्वजनिक कार्यों से दूर रखा जाता है, उनकी इस प्रक्रिया में भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकारें एवं गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से अत्यंत सार्थक एवं समर्थनयुक्त सक्रिय भूमिका निभा सकते है।

अ. सूचना उपलब्ध कराकर,

आ. सामुदायिक समूहों को संगठित एवं सुदृढ़ करके,

इ. वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके, तथा

ई. उनके बीच परस्पर संपर्क स्थापित कराकर तथा समूहों के बीच समर्थनयुक्त पूरक बाबत का निर्वाह करके।

सी.बी.डी.आर.एम. विषयक मुख्य अवधारणा

सी.बी.डी.आर.एम. की मुख्य अवधारणा में विपदा के संबंध में कहा गया है कि जब विपदा से असुरक्षित स्थिति में रहनेवाले समुदाय असरग्रस्त होते है तो मृत्यु एवं विनाश होता है। असुरक्षित स्थिति विद्यमान या परिणामी परिस्थितियाँ होती है जिनके कारण समुदायों की विपदा विषयक घटनाओं को रोकने, उनका प्रभाव कम करने तथा उनका सामना करने की क्षमताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विस्नर तथा अन्य (२००४)[१] का मानना है कि विपदा के संदर्भ में तीन घटकों की उनके पारस्परिक अंर्तसंबंध के साथ निम्नलिखित कूट-समीकरण के रूप में भूमिका रहती है : जोखिम × असुरक्षितता।

इस राजनीतिक आर्थिक अभिगम को मानव-प्रकृति संबंध पर्यावरण तथा समाज के सामाजिक-राजनीतिक ढाँचे के द्वारा प्रभावित रूप में समझा जा सकता है। इन अभिगम से यह बात स्पष्ट होती है कि विपदाएँ केवल प्राकृतिक कारणों से ही नहीं होती है अपितु मानव कार्यों, राजनीति एवं ऐतिहासिक-संरचनागत प्रक्रियाओं से भी प्रभावित होती है।

विपदा के प्रति प्रभावी रूप से प्रतिक्रियास्वरूप कार्य करने के लिए समुदायों एवं परिवारों की क्षमताओं में वृद्धि लाने की जरूरत होती है जिससे वे उनका सामना करने के लिए समर्थ होते है तथा तैयार रहते है तथा अत्यंत जल्दी ही वे विपदा के प्रभाव से मुक्त हो जाते है। एक सूत्र के रूप में इस संबंध में निम्नानुसार कहा जा सकता है :

$$\text{विपदा} = \frac{\text{जोखिम} \times \text{असुरक्षितता}}{\text{क्षमता}}$$

अतः विपदा जोखिम न्यूनीकरण में उन सभी उपायों को समाहित किया जाता है जो जानहानि, संपत्ति या परिसंपत्तियों के नुकसान की जोखिम के घटकों (या विपदा) की असुरक्षित स्थिति में कमी लाकर तथा उनका सामना करने की क्षमताओं में वृद्धि करके विपदा विषयक जोखिम में कमी लाते है।

समुदाय आधारित विपदा जोखिम न्यूनीकरण में विपदा की प्रक्रिया के निवारण से लेकर

१ देखें विसनर, बी; ब्लैकी, पी; तथा अन्य, २००४ : जोखिमग्रस्त प्राकृतिक विपदाएँ, लोगों की असुरक्षित स्थिति एवं विपदाएँ, लंदन : ब्लैकवैल

क्षेत्रीय जोखिम अंतरण पहल विषयक स्थानीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एल.सी.बी.सी.) के परिणाम एवं प्रभाव

विश्लेषण का क्षेत्र	निर्गम	परिणाम	प्रभाव
आर.आर.टी.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रम	विपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहनेवाले समुदाय के अगुआ लोग विपदा बीमा के प्रति सचेत है। समुदाय के अगुआ लोग एवं क्षेत्रकार्य विषयक कर्मचारी गण अपने-अपने समुदायों में इसके संबंधित शिक्षा विषयक चेतना फैलानेवाले मुख्य लोग होते है।	समुदायों के गरीब लोगों में बीमे को अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है। विपदा बीमा जैसी बीमा पॉलिसियाँ लेनेवाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ज्ञान आधारित विपदा बीमे की शुरुआत की गई है।	अत्यंत अच्छे एवं टिकाऊ ढंग से समुदाय विपदाओं के पश्चात् अपनी जीविका को बचा सकते है।
लाभार्थियों की पहुँच	प्रत्यक्ष लाभार्थी • ए.आई.डी.एम.आई. क्षेत्रकार्य कर्मचारी गण, स्वयंसेवी समुदाय के अगुआ। • ए.आई.डी.एम.आई. : शोध-स्थापनाएँ, प्रकाशन	प्रत्यक्ष लाभार्थी : गुजरात एवं अन्य प्रभावित राज्यों में विपदाग्रस्त जनसंख्या, राष्ट्रीय विपदा सहायता संस्थाएँ संभावित रूप में बीमा कंपनियाँ।	व्यापक रूप से समाज
समय सीमा	प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद ०-१ वर्ष	परिणामों के मिलने के बाद ०-३ वर्ष	३ वर्ष से अधिक प्रशिक्षण से प्रभावों पर प्रत्याशित रूप से असर पड़ सकता है लेकिन प्रभाव के परिणामों से इस परियोजना का समय बढ़ सकता है तथा यह सब कुछ अन्य घटकों पर भी निर्भर करता है।

स्रोत : विपदा जोखिम अंतरण विषयक स्थानीय क्षमता निर्माण चक्र के विशेष ध्यान के साथ ए.आई.डी.एम.आई. के प्रशिक्षण कार्यों की समीक्षा, ए.आई.डी.एम.आई., अप्रैल, २००७।

पुनः प्राप्ति का कार्य तक के समस्त चरणों में समुदाय को समाहित महत्व दिया जाता है।

इस अभिगम को स्थानीय लोग आसानी से समझ लेते है तथा वे अपने दैनंदिन जीवन में तथा विपदाओं से संदर्भित उनकी असुरक्षित स्थिति में कमी लाने की महत्ता को समझते है।

विपदा जोखिम प्रबंधन हेतु समुदाय आधारित अभिगम क्यों आवश्यक है?

समुदाय आधारित अभिगम के महत्व की स्थानीय असुरक्षित स्थितियों के निवारण एवं क्षमताओं के निर्माण का समर्थन करने के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के रूप में समझा जा सकता है। इस अभिगम में संबंधित समुदायों के संगठनात्मक विचारों एवं मान्यताओं, समुदायों के आर्थिक विकास के स्तरों तथा देश के राजनीतिक ढाँचे तथा आदाता संगठनों के निधि देने के आवर्तन की विविधता को समाहित किया जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में प्रचलित एक अन्य मुख्य धारणा

तमिलनाडु के समुदायों में आजीविका सुरक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों में से एक घटक मछली है।

में नीति, योजना एवं कार्यक्रम निर्माण में सी.बी.डी.आर.एम. हेतु सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, यू.एन. एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में रहे है।

सी.बी.डी.आर.एम. के कार्यान्वयन के पश्चात् संबंधित नतीजों के माध्यम से समुदायों को निम्नानुसार पहचाना जाना चाहिए।[२]

१. समुदाय आधारित संगठन (सी.बी.ओ.)
२. समुदाय विपदा जोखिम न्यूनीकरण निधि
३. समुदाय विपदा, असुरक्षित स्थिति, क्षमता मानचित्र (एच.बी.सी.एम.)
४. समुदाय विपदा जोखिम प्रबंधन योजना
५. सी.बी.ओ. प्रशिक्षण प्रणाली
६. समुदाय ड्रिल प्रणाली
७. समुदाय अधिगम प्रणाली
८. सामुदायिक आरंभिक चेतावनी प्रणाली।

सी.बी.डी.आर.एम. को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में कार्य करनेवाले लोगों में धारणा एवं रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट हो तथा पद्धति सामान्य हो। यह भी आवश्यक है कि विपदा कार्यों एवं पूर्वतैयारीगत कार्यों में मुख्य भूमिका समुदायों के स्थानीय अगुआ लोगों को देकर उनको इस कार्य के महत्व को समझकर तथा उन्हें इसमें समाहित करके स्थानीय प्रशासन एवं राष्ट्रीय सरकारों का समर्थन प्राप्त किया जाए। सी.बी.डी.आर.एम. के कार्यान्वयन को दीर्घकालिक रूप में सही ढंग से बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय कुशल लोगों एवं स्थानीय सरकारी अधिकारियों को शामिल किया जाए ताकि कार्यक्रमों के प्रभावी रूप से लागू होने की गरिमा बनी रहे। वित्तीय परिप्रेक्ष्य खुले रूप में तथा पारदर्शी होने चाहिए। ■

२ स्रोत : महत्वपूर्ण दिशानिर्देश : समुदाय आधारित विपदा जोखिम प्रबंधन। एशियाई विपदा पूर्व तैयारी केन्द्र, ए.डी.पी.सी., २००६, बैंगकॉक, थाईलैन्ड।

समुदाय की क्षमता विकास के प्रयास

समुदाय क्षमता निर्माण चक्र से समुदाय के अगुआ लोग अपने भविष्य को और अधिक सुरक्षित बना सकते है। विपदा संभावित या असुरक्षित स्थितिवाले क्षेत्रों में समुदायों के नेताओं को महत्व दिया जाता है। स्थानीय ज्ञान एवं स्थानीय व्यक्तिगत क्षमताएँ क्षमता निर्माण कार्यों के केन्द्र में होती है। ए.आई.डी.एम.आई. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समुदाय आधारित अनुप्रयोग अभिगम एवं वैज्ञानिक/शैक्षणिक संकल्पनाओं के बीच संतुलन बनाकर उपयोग किया जाता है। प्रतिभागितापूर्ण एवं नवीन अन्वेषणात्मक अधिगम पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अब तक भारत के गुजरात, तमिलनाडु एवं कश्मीर राज्यों के कई शहरों एवं कस्बों में स्वयंसेवी समूहों, शहरी स्लम स्वयंसेवकों, पाठशाला के शिक्षकों, पंचायती राज्य संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों एवं अन्य समुदायों के ६,१३२ अगुआ को विपदा प्रबंधन के विविध ३४ विषयों पर २३९ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जोडा गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में मुख्य कार्यकर्ताओं के स्थानीय एवं क्षेत्रीय कार्य विषयक हाल ही में हुए अनुभवों को प्रस्तुत किया जाता है। इन श्रृंखलाओं में राष्ट्रीय सरकारों, आदाताओं एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को विपदा न्यूनीकरण एवं पूर्वतैयारी विषयक इन कार्यक्रमों में सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है तथा मानवतावादी कार्यगत प्रयासों से जुड़े कार्यक्रमों को बनाने, लागू करने एवं मूल्यांकन करनेवाले क्षेत्र कार्य के अनुभवी विपदा प्रबंधकों एवं व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम को विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है तथा इनकी विषयवस्तु की समीक्षा इस क्षेत्र में कार्य करनेवाले अनुभवी लोगों एवं विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। माँग के

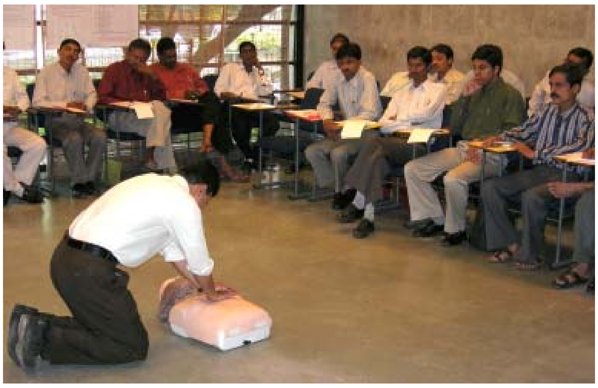

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत जीवन रक्षक कौशल के संबंध में बात की जा सकती है।

राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण में नगरपालिकाओं के लिए सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व तैयारी योजना की युक्ति का उपयोग कर सकते है।

ए.आई.डी.एम.आई. के स्थानीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को समाहित किया गया है :

- समुदाय आधारित विपदा राहत एवं कार्य
- समुदाय आधारित विपदा जोखिम प्रबंधन
- समुदाय आधारित विपदा जोखिम न्यूनीकरण
- सामुदायिक पहल : बीमा के माध्यम से जोखिम अंतरण
- विपदा एवं मानसिक स्वास्थ्य
- बच्चों के साथ विपदा न्यूनीकरण
- पाठशाला के लिए विपदा पूर्वतैयारी
- आपातकालीन खाद्यान्न सुरक्षा : कार्य एवं शोध
- आपातकालीन चिकित्सा विपदा कार्य (प्राथमिक चिकित्सा)
- जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण
- गुजरात खाद्यान्न विषयक कार्य : जरूरत एवं क्षति आकलन
- एच.आई.वी. एवं मानवतावादी कार्य : न्यूनीकरण विषयक मामले
- मानवतावादी सनदी एवं विपदा कार्यों का न्यूनतम मानक
- इन्सीडन्ट कमांड प्रणाली
- शांति स्थापन में नेतृत्व
- गरीबी से बाहर निकलना जोखिम न्यूनीकरण
- विपदा से बाहर निकलना एवं जी.आई.एस.
- पाठशाला के लिए बहु जोखिम विपदा पूर्वतैयारी
- समुत्थान कार्य का प्रतिभागितापूर्वक मूल्यांकन
- प्रतिभागितापूर्ण ग्रामीण जोखिम मूल्यांकन साधन
- वित्तीय सेवाओं के माध्यम से जोखिम अंतरण
- सूक्ष्म धिराण के माध्यम से जोखिम अंतरण
- सामुदायिक संसाधन केन्द्र की भूमिका और महत्व
- सुरक्षित भवन निर्माण
- पाठशाला सुरक्षा हेतु वैज्ञानिक चेतना
- महिलाओं के नेतृत्व में बहु जोखिम विपदा न्यूनीकरण विषयक साधनों के परीक्षण एवं साधन विकास विषयक कार्यशाला
- विपदा जोखिम न्यूनीकरण की समझ : ह्योगो आधारभूत ढाँचा
- शहरी खाद्यान्न असुरक्षा
- शहरी योजना एवं गरीब
- क्षेत्रगत मानक के साथ शहरी जल लेखा परीक्षा एवं संसाधन मूल्यांकन
- महिलाओं के नेतृत्व में विपदा न्यूनीकरण एवं पूर्वतैयारी
- महिलाओं के नेतृत्व में राहत एवं संबंधित कार्य
- महिलाओं के नेतृत्व में आपातकालीन चिकित्सा कार्य
- महिलाओं के नेतृत्व में बहु जोखिम विपदा न्यूनीकरण।

आधार पर पश्च पाठ्यक्रम सेवाएँ प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में विपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सूनामी समुत्थानगत अंतरण, समुदाय आधारित विपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रबंधन एवं पूर्वतैयारी, स्लम-समुत्थान कार्य निगरानी, भूकंप के पश्चात् आजीविका राहत तथा मुख्य धारा में न्यूनीकरण हेतु शहरी असुरक्षित स्थिति के मूल्यांकन जैसे विषयों को समाहित किया गया है।

ए.आई.डी.एम.आई. के स्थानीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एल.सी.बी.सी.) एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की समीक्षा

मार्च, २००७ में ए.आई.डी.एम.आई. ने अपने स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यों का मूल्यांकन किया। इसका उद्देश्य विपदा बीमा विषयक इस स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर श्रृंखलाओं की समीक्षा करना था तथा इन प्रशिक्षणों की प्रभवन्विता एवं असर को बढ़ाने हेतु संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत करना था। भारत में जड़मूल स्तर पर आयोजित विपदा जोखिम न्यूनीकरण विषयक अधिकांश असंख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ए.आई.डी.एम.आई. की सूक्ष्म बीमा योजना विपदा बीमा के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से जागृति बढ़ी है; साथ ही, बीमाधारकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यह सब कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता के कारण हो सका है जो कि क्षेत्रीय जोखिम अंतरण पहल (आर.आर.टी.आई.) के भागरूप है।

इस मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि एल.सी.बी.सी. एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की प्रतिभागियों में बहुत ही प्रसिद्धि है क्योंकि ए.आई.डी.एम.आई. प्रमुख मानवगत सुरक्षाएँ पानी, खाद्यान्न, आवास और आजीविका से संबंधित समायोजित प्रशिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त, अपने पाठ्यक्रम की विषयवस्तु में अद्यतन विषयों को नियमित रूप से समाहित करता है तथा इन्हें स्थानीय संदर्भ में अनुकूलित करके अपनाता है। इस क्षमता विकास कार्यक्रम में समुदायों में प्रवर्तित विपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में चेतना फैलाई जाती है। योजना एवं कार्यान्वयन हेतु विकसित प्रक्रिया मानचित्र से ए.आई.डी.एम.आई. को अपनी इस प्रक्रिया को परिशुद्ध करने में सहायता मिलती है तथा इसके मूल्यांकन कार्य नियमित रूप से किए जाते है। ■

टी.ई.सी. एवं समुदाय आधारित विपदा योजना से अभिप्राय

वर्ष २००६ में, सूनामी मूल्यांकन बहुदल (टी.ई.सी.) ने सूनामीगत कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करना आरंभ किया था तथा इसमें यह पता लगाने की कोशिश की, कि किस तरह से मानवतावादी कार्य भविष्य में अधिक प्रभावी हो सकते है। इसके निष्कर्षों से यह सिद्ध होता है कि सुधार हेतु केन्द्रित किए जानेवाले मुख्य क्षेत्र स्वामित्व एवं जवाबदेयता, क्षमता, गुणवत्ता एवं निधिकरण है। विपदा योजना आधारित समुदाय के कार्य करने हेतु निहितार्थ के संबंध में, टी.ई.सी. की सिफारिशों में भागीदारी, सहयोग एवं संचार तथा स्थानीय सशक्तीकरण को शामिल किया गया है।

स्थानीय गैर सरकारी संगठनों एवं समुदाय आधारित संगठनों को विपदा न्यूनीकरणगत इन कार्यों में उनके महत्व के संबंध में पहले सचेत करना चाहिए तथा उसके पश्चात् उन्हें शिक्षण लेना चाहिए। अपनी समस्याओं के लिए तथा अपनी आवाज उठाने के लिए असरग्रस्त लोगों को सशक्त करने की दिशा में गैर सरकारी संगठनों को समुदाय आधारित संगठनों एवं स्थानीय अगुआ लोगों को इसके संबंध में प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे असरग्रस्त लोग अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकें तथा अपनी आवाज उठा सकें तथा पुनर्निर्माण प्रक्रिया के संबंध में अपनी पसंद व्यक्त कर सकें।

राष्ट्रीय सरकार को स्थानीय कर्मचारियों तथा अन्य निकायों को प्रशिक्षित करना चाहिए तथा महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल

टी.ई.सी. अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशों के ए.आई.डी.एम.आई. अनुपालन हेतु ए.आई.डी.एम.आई. की टीम एकत्रित होकर चर्चा करते हुए।

करना चाहिए तथा समानता के आधार पर महिलाओं के साथ संवादिता कायम करनी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों एवं सरकार को स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि उन्हें उनका सहयोग प्राप्त हो सके तथा राष्ट्रीय सरकार के कार्यों को वे कर सकें तथा यह भी सीख सकें कि किसी खास मुद्दे को कैसे उठाना है तथा किसके सामने उठाना है। विशेष रूप से हाँशिये पर स्थित समूहों की दशा एवं उनके अधिकारों के संबंध में बल देना चाहिए तथा उनके सशक्तीकरण को मूलभूत सिद्धांत के रूप में लिया जाना चाहिए। हाँसिए पर स्थित समूहों को भी विपदाओं के संबंध में पूरी तरह से सूचना प्राप्त करने तथा उनसे पार पाने की संभावनाओं के संबंध में जानकारी हाँसिल करने का पूरा अधिकार है।

स्थानीय सरकारों एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को विपदा पीड़ितों को सहायता देने के कार्य पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए अपितु अपवर्जन एवं असमानता की प्रवर्तमान प्रणाली में परिवर्तन लाने की दिशा में भी कार्य करने चाहिए। स्थानीय अगुआ लोगों एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रशिक्षण कार्य में असरग्रस्त लोगों को सशक्त करने हेतु नकद सहायता के उपयोग को भी शामिल किया जाना चाहिए तथा उन्हें उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप उनके कल्याए हेतु पुनर्निर्माण कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ■

नीति एवं सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से पक्ष-समर्थन

समूह के साथ/समूह के लिए पक्ष-समर्थन करने का आशय लोगों को उनके विचार व्यक्त करने तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ अपनी पात्रता अनुसार अपना दावा प्रस्तुत करने में उन्हें सहायक बनना तथा उनकी ओर से उनका प्रतिनिधित्व करना एवं उनकी ओर से समझौता करना है। पहल किए जानेवाले व्यक्ति की जरूरतों के पूरा करने के लिए नीतिगत बदलाव लाने हेतु यह एक प्रक्रिया है। सी.बी.डी.आर.एम. में मुख्य रूप से उन समुदायों का पक्ष-समर्थन किया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से ग्रस्त होते है तथा जो उस जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम निर्माण का हिस्सा बनना चाहते है जिससे स्थानीय समुदायों एवं समूहों के विचार प्रभावित हों। केन्द्रित पहलगत प्रयासों के कारण कोई भी व्यक्ति नीति एवं सामाजिक परिवर्तन दोनों को प्रभावित कर सकता है।

पक्ष-समर्थनगत कार्यों में निम्नलिखित चरणों को पूरा करना चाहिए।

१. नीतिगत मुद्दों की पहचान
२. पक्ष-समर्थनगत उद्देश्य का चुनाव
३. संशोधन में समाविष्ट लोग
४. पक्ष-समर्थनगत संदेश का विकास एवं प्रस्तुतीकरण
५. निर्णय लेने की समझ
६. निर्माण सहयोगी

स्रोत : मार्गदर्शक पुस्तक, सरकारी नीति एवं कार्यक्रम निर्माण में समायोजित सी.बी.डी.आर.एम., ए.डी.पी.सी., २००६, बैंगकॉक, थाईलैंड : पृष्ठ क्रमांक-१०।

७. प्रभावी तैयारी करना
८. पक्ष-समर्थन हेतु निधि प्राप्त करना
९. पक्ष-समर्थन का मूल्यांकन एवं सुधार।

सरकारी योजना में सी.बी.डी.आर.एम. के समायोजन की पहल आखिर क्यों?

विपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सरकारी योजना में सी.बी.डी.आर.एम. के समायोजन से विपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों की प्रभवन्विता में सुधार आएगा तथा योजना में और अधिक लोग शामिल होंगे और स्थानीय निधियों को प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। चूँकि यह एक दीर्घकालीन पहलगत प्रक्रिया है अतः सी.बी.डी.आर.एम. गत पहल गरीबी के खिलाफ वचनबद्धता है क्योंकि घटनाओं के घटित होने से पूर्व ही यह विपदा जोखिमों को कम करती है तथा समुदाय के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर प्रोत्साहित, गतिशील एवं सशक्त बनाती है।

डेगुपन शहर, फिलीपींस, स्थानीय प्राधिकरण एवं समुदायों के बीच सहयोग[३]

डेगुपन शहर फिलीपींस के ल्युजोन द्वीप पर स्थित है। इस विकासशील शहर से होकर सात नदियाँ बहती है। यहाँ बाढ़ आना आम बात है क्योंकि नदियों में पानी की भारी मात्रा आती है तथा उनमें मिट्टी का जमावड़ा होने के कारण वे समुद्र से आसानी से मिल नहीं पाती है। इसके अतिरिक्त, जुलाई, १९९० में हुए भूकंप ने व्यापक स्तर पर तबाही मचाई तथा इसका बाढ़ की स्थिति पर प्रत्यक्ष असर पड़ा।

शहरी प्रशासन से बाढ़ की समस्या से निजात पाने को प्रमुखता दी थी तथा विपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों को पूरा करने में भी शहरी प्रशासन कार्यरत था। आपातकालीन पूर्वतैयारी एवं विपदा विषयक कार्यों पर ही अधिकांश रूप से प्रमुखतया बल दिया गया था। हाल ही के वर्षों में शहरी प्रशासन ने असुरक्षित स्थिति विषयक मुद्दों का समाधान ढूँढ़ने हेतु निवारक उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया है। एशिया में 'प्रोमिस' नामक शहर की संगठन ने हाइड्रो-वायुमंडलीय विपदा कम करने हेतु कार्यक्रम बनानेवाले शहरों में फिलीपींस के निदर्शनात्मक शहर के रूप में चयन किया गया है।

इस कार्यक्रम में शहर में सामुदायिक स्तर पर विशेष विपदा न्यूनीकरण उपायों को अपनाने पर बल दिया जाता है। इस शहर में यह धारणा प्रचलित हो गई है कि आपातकालीन स्थितियाँ न होने पर भी इस संबंध में वांछित कार्यों को सक्रिय रूप से किया जाना चाहिए तथा समुदाय में विपदा जोखिम प्रबंधन के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसकी प्राप्ति हेतु आठ बारांगायों के समुदायों को प्रायोगिक स्तर पर इस प्रक्रिया में आरंभ से ही शामिल किया गया। उन्होंने उनके, शहरी प्रशासन एवं नागरिक संगठनों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ाने हेतु प्रयास किए थे।

बारांगायों ने विपदा जोखिम प्रबंधन विषयक कार्यशाला एवं आरंभिक चेतावनी एवं बचाव विषयक कार्यशाला का भी आयोजन किया था। सभी कार्यशालाओं में प्रत्येक पायलट बारांगायों के लोगों एवं शहरी प्रशासन के कर्मचारियों को शामिल किया गया था ताकि समुदाय के सदस्यों को विपदा जोखिम प्रबंधन एवं योजना निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके और स्थानीय प्रशासन के साथ उन्हें जोड़ा जा सके। शहर की परिषद के पार्षदों के साथ तकनीकी कार्य समूह ने संयोजन कार्य किया तथा एक प्रस्ताव पारित किया कि प्रतिवर्ष डेगुपन शहर विपदा पूर्वतैयारी दिवस मनाया जाए। इस दिवस के मनाने के माध्यम से विपदा विषयक सुरक्षा शहर की संस्कृति के अंग के रूप में शामिल हो गई है तथा इसके चेतना फैलाने में सहायता मिलती है।

डेगुपन शहर के इस उदाहरण से यह निर्दशित होता है कि स्थानीय सरकार की गतिविधियों में समुदायों को कैसे शामिल किया जाए। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि पहलगत प्रक्रिया के माध्यम से नीति एवं सामाजिक परिवर्तन पर कैसे प्रभाव पड़ना शुरु होता है। ■

३ सुरक्षित शहर १६, ए.यू.डी.एम.पी., एशिया एवं प्रशांत महासागरीय खंड में विपदाओं के न्यूनीकरण विषयक केसगत अध्ययन, एशिया के गौण शहरों में हाइड्रो-पर्यावरणीय विपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम, अप्रैल, २००७।

समुदाय के सदस्यों को उनके व्यवसाय के विकास में सहायक सूक्ष्म वित्त[४]

चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्री ऑफ स्मोल स्केल बिज़नेसीस (सी.सी.आई.एस.बी.) की स्थापना वर्ष २००४ में हुई थी। यह एक समुदाय आधारित संगठन है जो कि अपने सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करता है। अपनी दो महत्वपूर्ण गतिविधियों में निधि-आवर्तन एवं विपदा बीमा से संबंधित कार्य सी.सी.आई.एस.बी. के अधिकारी करते है।

आवर्तनकारनिधि एक सूक्ष्म वित्त साख ऋण के रूप में छोटे व्यवसाइयों को दिया जाता है। विपदाओं के कारण प्रभावित होनेवाले बड़े एवं छोटे व्यावसायों को उनके व्यावसायिक विकास के लिए ऋण सहायता आर्थिक समुत्थान हेतु दी जाती है। आवर्तक निधि हेतु किसी भी संबंधित व्यक्ति को सी.सी.आई.एस.बी. के स्वयंसेवक से मिलना चाहिए तथा इस आवर्तक निधि के लाभार्थी बनने हेतु उन्हें कहना चाहिए। तत्पश्चात् टीम को इस बात का पता लगता है कि वह सदस्य आवर्तन निधि के लिए लायक उम्मीदवार है या नहीं तथा उसके बाद उन अन्य सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है जिन्हें उस उम्मीदवार के बारे में और अधिक जानकारी होती है। यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह उम्मीदवार सही है तो वे सी.सी.आई.एस.बी. के सदस्य के साथ मिलकर एक आवेदन पत्र लिखते है तथा उस आवेदन पत्र को अहमदाबाद स्थित कार्यालय में भेजा जाता है, साथ ही, बैंक की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए संबंधित कागजात भी बैंक को भेजा जाता है। अहमदाबाद में आवेदनपत्र के मंजूर हो जाने के पश्चात्, ड्राफ्ट भुज भेजा जाता है जहाँ सदस्य को ऋण दिया जाता है। यह सब कार्यवाही दो सदस्यों की साक्षी में की जाती है। इन ऋणों को प्राप्त करनेवाले वे गरीब लोग ही होते है जो वित्तीय दृष्टि से मुख्य धारा से नीचे के स्तर के होते है। उनके पास ठीकठाक रोजगार भी प्रायः नहीं होता तथा उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं होती कि उनकी साख के आधार पर कोई उन्हें ऋण दे भी पाए। अतः प्रायः वे बैंकों से ऋण प्राप्त कर ही नहीं पाते। अधिकांश सूक्ष्म ऋण योजनाओं पर व्याज लिए जाने का प्रावधान होता है लेकिन सी.सी.आई.एस.बी. की आवर्तक निधि जैसी योजनाएँ भी है जिसमें व्याज दर की भरपाई करने के अन्य विकल्प ढूँढ़े जाते है, अतः व्याज नहीं लिया जाता।

जरीनाबहन कासम अपने छोटे व्यवसाय के विस्तार हेतु सहायता ऋण लेती है। कच्छ में आमतः व्याप्त सूखे जैसी विपदाओं से अपने परिवार को बचाने तथा अपनी असमान आय में वृद्धि करने तथा और अधिक करने के प्रयास करती है।

सूक्ष्म बीमा सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में एक ऐसी सापेक्ष्य नई गतिविधि है जिसके अंतर्गत गरीब ग्राहकों को विपदाओं एवं दुर्घटनाओं से रक्षा कवच के रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। विपदा बीमा योजना एक ऐसी कम प्रीमियमवाली बीमा पॉलिसी है जिसके अंतर्गत भूकंप, चक्रवात, आग, बाढ़ एवं इसी तरह की अन्य विपदाओं को मिलाकर कुल १९ विपदाओं के खिलाफ पॉलिसी धारकों को नुकसान की भरपाई किए जाने की व्यवस्था इसमें शामिल है। इस लाभ को लेने के लिए बीमा पॉलिसी धारक को २०० रूपए से २३५ रूपए तक (५.०० अमरीकन डॉलर) की सीमा में वार्षिक प्रीमियम भरना होता है। इसके लिए, उन्हें ९५,००० रूपए (२३७५ अमरीकन डॉलर) का बीमा सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। इन सूक्ष्म वित्त गतिविधियों से गरीब लोग आत्म-सशक्तीकरण की दिशा में ऐसी योजनाएँ बना सकते है जिनसे उनकी आय सृजित हो तथा वे आगे और लाभ उठा सकते है तथा गरीबी के चंगुल से बाहर निकलकर अपना विकास कर सकते है।

अप्रैल, २००७ में ए.आई.डी.एम.आई. ने सी.सी.आई.एस.बी. की समीक्षा की। इस समीक्षा का उद्देश्य सी.सी.आई.एस.बी. को इस बात हेतु और अधिक अधिकार प्रदान करना था जिससे आवर्तक निधि के प्रभाव तथा उसकी ऋण सीमा में सुधार किया जा सके तथा उसके अपने संगठन के संबंध में और अधिक अधिकार प्राप्त हो सकें। कुल मिलाकर ३० लोगों के साक्षात्कार किए गए जिनमें से २५ सी.सी.आई.एस.बी. ऐसे सदस्य थे जो सी.सी.आई.एस.बी. के लाभार्थी थे तथा दूसरे पाँच लोग सी.सी.आई.एस.बी. के स्वयंसेवक टीम के सदस्य एवं खजांची थे। इस निधि का प्रभाव सकारात्मक है। जिन लोगों के साक्षात्कार किए गए उन सभी लोगों ने कहा कि इस आवर्तन निधि से जुड़ने के बाद उनकी मासिक आय में वृद्धि हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी आय दुगुनी हो गई है; उनमें से अधिकांश ने नियमित रूप से बचत करना आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, इसमें लाभार्थियों के कल्याण एवं उनकी सामाजिक क्षमता में सुधार लाने की दिशा में स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव निहित है क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि वे इसके माध्यम से यह भलीभाँति सीखे है कि उन्हें किस तरह से चर्चा करनी चाहिए तथा अपनी बात सही ढंग से कैसे प्रस्तुत करनी चाहिए। ■

४ इस आलेख को सी.सी.आई.एस.बी. के द्वारा लघु व्यवसायों का विपदागत समुत्थान से लिया गया है। ए.आई.डी.एम.आई., २००७।

समुदाय के सशक्तीकरण के लिए विपदा जोखिमों की जानकारी

विपदाओं को समझना तथा उनके बारे में आगे जानकारी तथा उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया से आप बचाव एवं आपातकाल के संबंध में अपनी सही पसंदगी से सहायक हो सकते है।

समुदायों के लिए यह अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि वे सूचनाएँ प्राप्त करें तथा विपदा जोखिमों का सामना करने हेतु वे अपनी संरचनाओं एवं क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए। सी.बी.डी.आर.एम. विषयक पाठ्यक्रम समुदायों के प्रति विपदाओं के प्रबंधन करने के साधन के रूप में मदद करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सी.बी.डी.आर.एम. पाठ्यक्रम एवं कार्यशालाओं के संबंध में जानकारी

दक्षिण एशिया में विभिन्न संगठनों द्वारा चलाए जानेवाले विभिन्न सी.बी.डी.आर.एम. पाठ्यक्रम है। उनमें से एक पाठ्यक्रम की रचना एशियन डिज़ास्टर प्रिपेर्डनेस सेन्टर (ए.डी.पी.सी.) द्वारा की गई है। जिसकी स्थापना वर्ष १९८६ में की गई थी तथा इसके क्षेत्रीय, सरकारी, गैर लाभकारी संगठन एवं संसाधन केन्द्र बैंगकॉक में है। ए.आई.डी.एम.आई. एक समुदाय आधारित कार्यशोध, कार्ययोजना एवं कार्यगत पहल संगठन के रूप में कार्यरत है जो कि स्थानीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सी.बी.डी.आर.एम. पाठ्यक्रम चलाती है। इस आलेख में, सी.बी.डी.आर.एम. की प्रशिक्षणगत विषयवस्तु के सामान्य विचार के संबंध में तथा पढ़ाए जानेवाले पाठों के संबंध में इन पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।

सी.बी.डी.आर.एम. पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जानेवाले पाठ एवं उनकी पाठ्यवस्तु

सी.बी.डी.आर.एम. पाठ्यक्रमों का उद्देश्य समुदाय के अगुआ लोगों एवं प्रतिभागियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मॉड्यूलों के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करना है। इन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों की अवधि दो से दस दिन तक की होती है। इनमें से अधिकांश में सैद्धांतिक ढाँचागत कार्य एवं सूचना, समूह अभ्यास तथा व्यावहारिक अभ्यास या क्षेत्रकार्य समाहित होता है। अधिकांश अध्यापन कार्य परावर्तन एवं पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा इनमें प्रवर्थित धारणा को देखते हुए इनमें आत्म-निर्देशानुसार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है जिनके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण/कार्यशाला का वैविध्य निरंतर प्रवर्थित रूप से बना रहता है।

आरंभ में इन पाठ्यक्रमों में सी.बी.डी.आर.एम. के वर्तमान संदर्भ के बारे में सूचना दी जाती है तथा इसकी एशियाई प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है तथा 'असुरक्षित स्थिति', 'क्षमता', 'जोखिम' एवं 'विपदा' जैसे शब्दों में पारिभाषिक संदर्भ स्पष्ट किए जाते है।

इनके साथ ही, सी.बी.डी.आर.एम. के ढाँचे को व्याख्यायित किया जाता है तथा समुदाय आधारित विपदा जोखिम प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों के मुख्य भाग सामुदायिक जोखिम मूल्यांकन के संबंध में होते है तथा पाठ्यक्रम के संचालन से जुड़े पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागी विपदा, असुरक्षित स्थिति एवं क्षमता मूल्यांकन के बारे में अपनी समझ विकसित करते है। इससे प्रतिभागियों को इन साधनों का उपयोग करने में सहूलियत एवं समझदारी पैदा होती है। इसके अतिरिक्त, इन अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागितापूर्ण त्वरित मूल्यांकन उपकरणों की व्याख्या की जाती है तथा उनके द्वारा अभ्यास कराया जाता है।

जोखिम मूल्यांकन से संबंधित ए.आई.डी.एम.आई. की कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को तीन समूहों में बाँटा गया तथा उन्हें विपदा, असुरक्षित स्थिति एवं क्षमता के संबंध में अपनी हालत व्यक्त करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने अपने-अपने परिणाम लिख लिए तब उन्हों ने इन्हें दूसरे समूहों के सामने प्रस्तुत किया ताकि प्रत्येक प्रतिभागी जान सके की उनके समुदाय में कौन-सी विपदा की पहचान की गई है तथा उसके संबंध में असुरक्षित स्थिति में कैसे कमी लाई जा सकती है तथा क्षमताओं में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है।

अन्य महत्वपूर्ण सत्र सामुदायिक जोखिम न्यूनीकरण योजना के संबंध में था। इस पाठ्यक्रम के अंत में, प्रतिभागियों को प्रतिभागितापूर्ण सामुदायिक जोखिम न्यूनीकरण योजना के महत्व की व्याख्या करने में समर्थ होना चाहिए तथा समुदाय आधारित जोखिम न्यूनीकरण योजना की मुख्य बातों की पहचान करनी आनी चाहिए।

पाठ्यक्रम के अंत में, सी.बी.डी.आर.एम. कार्यान्वयन पर बल दिया गया। न्यूनीकरण उपायों, समुदाय के प्रशिक्षण, आजीविका के सुदृढ़ीकरण, आपातकालीन पूर्वतैयारी आरंभिक चेतावनी प्रणाली तथा जनजागृति के सुधार विषयक उदाहरण दिए गए। ■

समुदायों के सुदृढ़ीकरण में आजीविका की सुरक्षा का महत्व

स्थानीय क्षमताओं एवं समुदाय के नेतृत्व में संपन्न विपदा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के मुख्य क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आजीविका सुरक्षा है। इस आजीविकागत पहल में विकास हेतु उद्देश्य, क्षेत्र एवं प्राथमिकताओं के बारे में सोचने का प्रयास किया जाता है। इसके कार्यान्वयन में सहायता हेतु एक विशिष्ट आजीविका आधारभूत ढाँचा एवं उसके लक्ष्यों का विकास किया गया है। इसके सार रूप में विकास के केन्द्र में लोगों को रखने का यह एक प्रयास है अतः इसके विकास सहायता की प्रभवन्विता में वृद्धि लाई जाती है।

यहाँ प्रस्तुत किए गए इस आधारभूत ढाँचे[५] को गरीब लोगों की आजीविका को समझने तथा उसका विश्लेषण करने में सहायता प्राप्त करने हेतु विकसित किया गया है। गरीबी में कमी लाने के विद्यमान प्रयासों की प्रभवन्विता के मूल्यांकन में भी यह अत्यंत उपयोगी है। सभी आधारभूत ढाँचों की भाँति ही, यह ढाँचा भी अत्यंत सरल है। आजीविका के संपूर्ण वैविध्य एवं बहुलता को स्थानीय स्तर पर गुणात्मक एवं प्रतिभागितापूर्ण विश्लेषण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इस आधारभूत ढाँचे से यह प्रदर्शित होता है कि असुरक्षित स्थितिगत संदर्भ, लोगों की आजीविकागत परिसंपत्तियों तथा घर, ढाँचा एवं प्रक्रियाओं के बीच संबंध होता है तथा यह भी स्पष्ट होता है कि उल्लिखित घटकों द्वारा प्रभावित आजीविका के परिणामस्वरूप आजीविकागत परिणामों का आजीविका परिसंपत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। गरीब लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिकांश रूप से सीधा प्रभाव आजिविकागत परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से डाला जा सकता है। इसकी प्राप्ति हेतु, असुरक्षित स्थिति के संदर्भ एवं प्रक्रियाओं को रूपांतरित करना आवश्यक होता है। असुरक्षित स्थिति

तमिलनाडु में आजीविका सहायता कार्यक्रम के भाग के रूप में गाँव के मुखिया से सब्जियाँ प्राप्त करती हुई श्रीमती तरमोझी। इनकी बिक्री उन्हें घर बैठे आय उपार्जन करने में सहायक होगी।

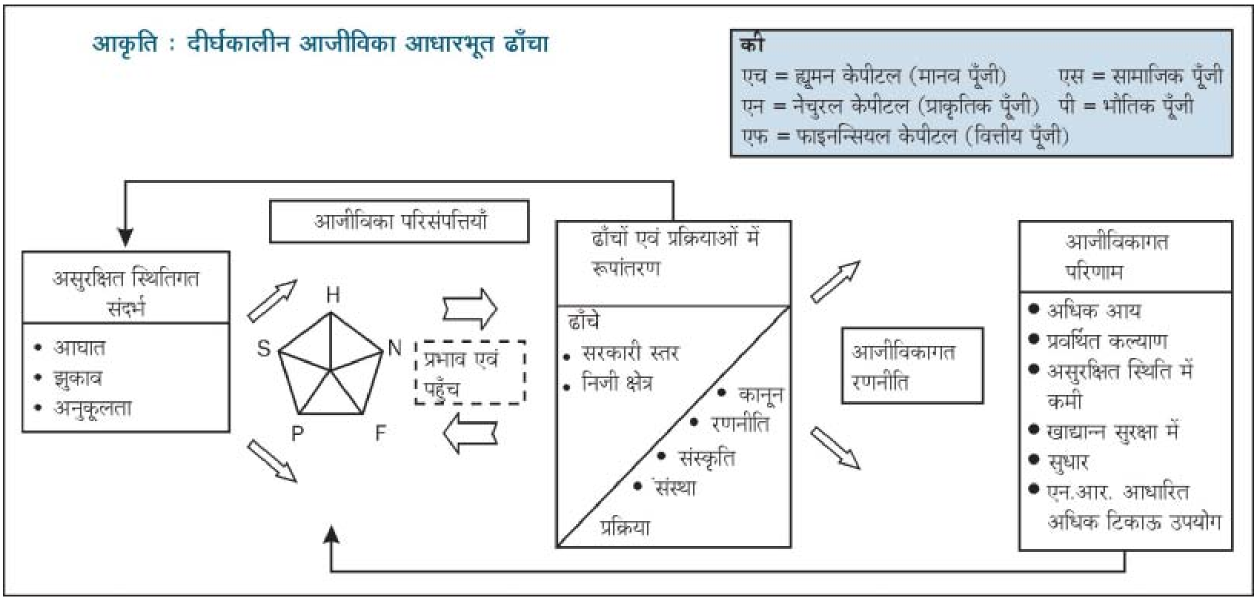

अनुकूलित, चैम्बर्स, आर. एवं जी. कॉनवे (१९९२) दीर्घकालीन ग्रामीण आजीविका : २१वीं शताब्दी की व्यावहारिक संकल्पना। आई.डी.एस. चर्चा आलेख, २९६, विघटन : आई.डी.एस.।

स्रोत : डी.एफ.आई.डी., अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग, ग्रेट ब्रिटेन : दीर्घकालीन आजीविका मार्गदर्शन शीट, १९९७।

५ स्रोत : डी.एफ.आई.डी., अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग, ग्रेट ब्रिटेन, दीर्घकालीन आजीविका मार्गदर्शन शीट, १९९७।

के संदर्भ में विपदा जोखिमों को न्यूनीगत किया जाए तथा निवारक उपायों एवं पूर्वतैयारी के माध्यम से इनमें कमी लानी चाहिए। संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं को रूपांतरित करने के लिए संस्थाओं, संगठनों एवं नीतियों को गरीब लोगों की जरूरतों के बारे में सोचना चाहिए तथा उनके हित में उन्हें लागू करना चाहिए।

आजीविकागत परिस्थितियाँ इस आधारभूत ढाँचे के ऐसे अंग है जो कि असुरक्षितता संदर्भों, संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से सीधे प्रभावित होते है। मानव-पूंजी से दक्षताएँ, ज्ञान एवं योग्यता के संबंध में श्रम एवं अच्छे स्वास्थ्य में इजाफा होता है जिससे विभिन्न आजीविकागत रणनीतियों को आगे बढ़ाने में लोग समर्थ होंगे और अपने आजीविकागत लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। सभी पाँच आजीविका सृजन ब्लॉकों में सामाजिक पूँजी रूपांतरित ढाँचों एवं प्रक्रियाओं से सर्वाधिक गहन रूप से सन्नद्ध है। सामाजिक पूँजी को नेटवर्कों एवं संबंधसूत्रता के माध्यम से समझा जा सकता है तथा इससे लोगों के कार्य करने की क्षमता एवं विश्वास में वृद्धि होती है तथा राजनीतिक या नागरिक निकायों जैसी व्यापक स्तर की संस्थाओं तक अपनी पहुँच को व्यापक बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यह और अधिक औपचारिक समूह की सदस्यता हो सकती है जो कि पारस्परिक सहमति या आम स्वीकृत नियमों, मानकों एवं अनुमोदनों तथा विश्वासपूर्ण संबंधों, पारस्परिकता एवं विनिमयों समर्थन प्राप्त कर सकते है जिसके आधार पर उन्हें सहयोग सुकर रूप में प्राप्त हो सकता है तथा कामकाज करने की कीमत में कमी लाई जा सकती है तथा गरीबों में औपचारिक सुरक्षा जालों हेतु आधारभूमि तैयार की जा सकती है। प्राकृतिक संसाधन भंडारों के लिए प्राकृतिक पूँजी शब्दावली प्रयुक्त की जाती है जिससे संसाधन जुटाए जाते है तथा आजीविका हेतु उपयोगी सेवाएँ (यथा पौष्टिक चक्र, अपरदन सुरक्षा) प्राप्त किए जाते है। संसाधनों में व्यापक रूप से वैविध्य देखने को मिलता है तथा इससे प्राकृतिक पूँजी का निर्माण होता है तथा इससे सार्वजनिक संपत्ति में वृद्धि होती है तथा निर्माण हेतु प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लाए जानेवाले विभिन्न घटकों से वातावरण एवं जीववैविध्य (पेड़, जमीन आदि) बढ़ता है।

दीर्घकालीन आजीविका आधारभूत ढाँचे में प्राकृतिक पूँजी एवं असुरक्षित स्थितिगत संदर्भ के बीच अत्यंत नजदीक का संबंध होता है। बहुत से ऐसे आघात है जिनकी वजह से गरीब लोगों की रोजी-रोटी छिन जाती है, उनमें प्राकृतिक प्रक्रियाएँ भी आती है, जिनकी वजह से प्राकृतिक पूँजी (यथा-आग से वन जलकर भस्म हो जाते है, बाढ़ एवं भूकंप जिनसे कृषियोग्य भूमि चौपट हो जाती है) नष्ट हो जाती है तथा बरसों-बरस प्राकृतिक पूँजी की उत्पादकता या मूल्य में परिवर्तन आने के कारण मौसम में भी भारी बदलाव आता है। भौतिक पूँजी में आधारभूत ढाँचा शामिल होता है तथा वे निर्माण किए जानेवाली वस्तुएँ शामिल होती है जिनकी आजीविका हेतु जरूरत होती है।

श्रीमती कविता ने जलानेवाली लकड़ियों को इकट्ठा करने एवं उसे बेचने का व्यवसाय चुनकर आजीविका कमाने का निर्णय किया है।

आधारभूत संरचना के निम्नलिखित घटकों की दीर्घकालीन आजीविका हेतु सामान्यतः आवश्यकता होती है : सुकर परिवहन; सुरक्षित आवास एवं भवन; समुचित जल आपूर्ति एवं सफाई, स्वच्छ सुकर ऊर्जा, तथा सूचना की प्राप्ति (संचार)। वित्तीय पूँजी में वे वित्तीय संसाधन आते है जिनका लोग अपनी आजीविकागत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपयोग करते है। वित्तीय पूँजी के दो मुख्य स्रोत है : बचत के रूप में उपलब्ध भंडार एवं पेंशन या प्रेषण के रूप में धन का नियमित रूप से अंतर्प्रवाह।

आजीविकागत संदर्भ को व्यापक रूप से समझने के लिए चार परस्पराच्छेदी विद्यमान परिप्रेक्ष्यों को समझना चाहिए : सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत एवं पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य। दीर्घकालीन आजीविका (एस.एल.) एवं गरीबी उन्मूलन को कार्यरूप करने में समग्र रूप से योगदान देने में प्रभावी होने के लिए आजीविका विश्लेषण भागीदारों द्वारा किया जाना चाहिए तथा नए बीज विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए।

- हाँशिए पर स्थित एवं वर्जित समूहों की आजीविकागत परिस्थितियों को पहचानने एवं समझने के प्रयास निष्ठापूर्वक रूप में किए जाने चाहिए।
- पुरुषों, महिलाओं, भिन्न-भिन्न आयु के लोगों के समूहों में असमूहन आदि की जरूरत है। एक परिवार को विश्लेषण के समग्र एकम के रूप में लेना ही पर्याप्त नहीं है।
- दीर्घकालीन आजीविका (एस.एल.) पहल के माध्यम से लोगों को सुदृढ़ एवं सुविधा से साधन-संपन्न बनाया जाना चाहिए; हमें मात्र आवश्यकताओं के ही बारे में सोचने से बचना चाहिए।

जब हम इसे विपदागत संदर्भ में उपयोग में लाते है तो यह आधारभूत ढाँचा विशिष्ट स्थिति के अनुकूल अपनाए जाने योग होना चाहिए। यह विशेष रूप से समुत्थानगत कार्यों में समाज के लोगों को उनकी जरूरतों के मूल्यांकन, विश्लेषण विकल्पों, तथा आजीविका को बनाए रखने की योजना में सहायक है तथा इससे सहायता प्राप्त होती है। यदि इसका उपयोग ठीक तरह से किया जाए तो समुदायों की जरूरतों के अनुसार आजीविका सुरक्षा की ओर कार्य करके इसका अमलीकरण किया जा सकता है तथा इसे दीर्घकालिक प्रभावी रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ■

वर्ष २००४ के सूनामी के बाद तमिलनाडु में सुरक्षित आजीविका प्रथा

वर्ष २००४ के हिंद महासागर के सूनामी ने समुद्र के आसपास रहनेवाले लोगों के आवास एवं आजीविका के साधन व्यापक पैमाने पर नष्ट कर दिए थे। कई समुदाय इसकी चपेट में बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हुए थे पर वे असहाय बिलकुल नहीं थे। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार पुनः सर्जन किया तथा बहुत ही जल्दी वे पहलेवाली स्थिति में पहुँच गए। चेन्नई के शहरी इलाके में इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला; यहाँ, सूनामी की लहरों के कारण कई शहरी नागरिकों को अपने मत्स्य व्यापार से हाथ धोना पड़ा था।

भारतीय व्यवसाय संघ का केन्द्र (सीटू) श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यरत है। उन्हों ने कामगारों की स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें वैकल्पिक आजीविका आय देने हेतु निर्णय लिया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) द्वारा प्रायोजित योजना के तहत उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान की तथा उन्हें विशेषज्ञों द्वारा बर्तनों को साफ करने के पाउडर, डिटर्जेंट, एसिड तथा शौचालय की सफाई करने में काम आनेवाले लिक्विड को तैयार करने के कार्य हेतु प्रशिक्षित कराया।

कुल मिलाकर ४७ महिलाएँ एकजुट हुई तथा एक लघु रासायनिक एकम के संघ के रूप में सीटू की परियोजना में उन्होंने कार्य करना आरंभ किया। इस संघ की सहायता कच्ची सामग्री एवं सुरक्षित आजीविका किट ए.आई.डी.एम.आई. ने प्रदान की। इस हस्तक्षेप द्वारा सुरक्षित रूप में कार्य करने तथा कार्य हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया। कार्य स्थल पर सुरक्षा होने की भावना से ये महिलाएँ अपना आर्थिक समुत्थान करके आगे बढ़ सकती है। अब इस समुदाय को काम करते समय सुरक्षा सिटों का भलीभाँति उपयोग करना आता है। सुरक्षा की भावना बढ़ी है तथा चोटग्रस्त होने का खतरा कम रहता है। इस तरह से महिला सदस्यों के लिए उत्कृष्ट आर्थिक समुत्थान कार्य प्राप्त किए गए है। अब सदस्यों को प्रचुर मात्रा में काम मिल जाता है तथा उन्हें बाजार विषयक रणनीति के कारण खूब अच्छे अवसर बाजार में मिल जाते है तथा एक सुरक्षित ढंग से कार्य करके वे अपनी विद्यमान क्षमताओं का उपयोग करते है।

बोतलों में टॉयलेट लिक्विड भरने के समय सुरक्षा उपायों के रूप में हाथों में मौजे पहने जाते है।

सुरक्षा किट को समुदाय एवं मुख्य प्रशिक्षक द्वारा तैयार किया गया था। सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनसे चेतना फैलाने के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, महिला सदस्य अब समूह बीमा योजना के भाग रूप है तथा उन्हें जीवन एवं अन्य बीमा योजनाओं का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है।

इस पहल के मुख्य पाठों के अंतर्गत निम्नलिखित पाठों को शामिल किया गया है :

१. कुछ समुदाय विपदाओं से प्रभावित हुए है तथा आजीविका समुत्थान प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक है।
२. इस पहल से होनेवाली घर की स्थिति को ठीकठाक ढंग से चलाने के लिए सर्वथा अनुकूल है। कुछ सदस्यों ने महाजन से किए गए बड़े-बड़े कर्जों को भी चुका दिया है तथा अपने बच्चों की शिक्षा हेतु फीस भरने में समर्थ है।
३. महिला सदस्य आत्म-निर्भर है तथा वे अपने घर की व्यवस्था को अच्छी तरह से सँभाल रही है। जो महिलाएँ विधवा या अलग रह रही है वे बहुत बड़ी तकलीफ में थी लेकिन अब वे भी अच्छी हालत में है।
४. इस परियोजना में शामिल न होनेवालों की तुलना में इस परियोजना के महिला सदस्यों की सामाजिक दक्षता में सुधार हुआ है।
५. सुरक्षा किट, अग्निशमन उपकरण जैसे न्यूनीकरण उपायों तथा सूक्ष्म बीमा को सदस्यों की भलाई के लिए जोड़ा गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा कार्यस्थल पर विपदा जोखिम कम हो।
६. सदस्य अपने आप बाजारगत संभावनाओं का पता लगाते है तथा बाजार में खरीद हेतु भी वे स्वयं जाते है और अपने उत्पादों की बिक्री भी वे स्वयं ही करते है। इससे उन्हें फायदा होता है तथा वे अपनी रणनीतियाँ विकसित कर सकते है।

सूनामी समुत्थान विषयक बहुत सी परियोजनाओं में चूँकि राहत पर ध्यान केन्द्रित किया ही जा चुका है। अतः इस पहल में यह प्रदर्शित होता है कि समुदाय के सदस्यों को उनकी आजीविका को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में कैसे सहायता की जा सकती है जिससे उनकी स्थिति समुत्थान कार्य से भी और अच्छी हो सके। महिलाओं ने सुरक्षा मानकों के संबंध में तथा अपने उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए भी काफी कुछ सीखा है तथा वे अपने इस लघु व्यवसाय में आत्म निर्भर हो गई है। ■

राष्ट्रीय विपदा पूर्व तैयारी से समुदायों को अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए : बंगलादेश का उदाहरण[६]

बंगलादेश विश्व में सबसे बड़ी दूसरी नदी प्रणाली गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना में स्थित है। ये तीनों नदियाँ बंगलादेश में होकर बहती है तथा इनमें १२५० बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आता है। इसकी वजह से यह देश बाढ़, चक्रवात, नदी तटों के अपरदन, भू-स्खलन, तूफान एवं सूनामी का शिकार होने के लिए बहुत अधिक असुरक्षित स्थिति में सदैव रहता है। चूँकि बंगलादेश एक सक्रिय विवर्तनिक क्षेत्र हिमालय में स्थित है अतः यहाँ भूकंप का होना आम बात है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक विपदाओं में सूखा एवं खाराश भी शामिल है। विश्व बैंक के वैश्विक जोखिम विश्लेषण (विश्व बैंक २००५) में बंगलादेश को ऐसे ६० देशों की सूची में रखा गया है जहाँ प्रतिवर्ष एक या दो विपदाएँ आती ही है। यू.एन.डी.पी. विपदा असुरक्षित स्थिति सूची (२००४) में बंगलादेश को सर्वाधिक विपदा संभावित देश घोषित किया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि बंगलादेश में विपदा का मृत्युदर विश्व में सर्वाधिक रूप में है।

असुरक्षित स्थिति में रहनेवाले लोगों की सुरक्षा करने की कानूनी रूप में जवाबदारी सरकार की ही होती है। तथापि, बंगलादेश में, संसाधनों के सीमित होने तथा क्षेत्रीय सहयोग की भावना की कमी के होने के कारण विपदा न्यूनीकरण में सरकार के कार्य अत्यंत सीमित होकर रह जाते है। एक विपदा संभावित देश होने पर भी, बंगलादेश में अब तक न तो राष्ट्रीय स्तर पर ही कोई विपदा पूर्वतैयारी योजना है और न जिला स्तर पर ही ऐसी कोई योजना कार्यरत है। बाढ़ जोखिम एवं क्षति न्यूनीकरण हेतु विकल्पों को खोजने के संबंध में की गई सिफारिशों के अनुसार एक राष्ट्रीय जल प्रबंधन योजना तथा एक समाकलित तटवर्ती प्रबंधन योजना बनाई तो गई है लेकिन अभी तक इन पर अमल नहीं हुआ है।

ऐसी स्थिति में समुदाय संयुक्त रूप से तथा इसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से विपदाओं से बचने के लिए अपनी-अपनी तरह से बचाव प्रणालियाँ अपनाते हैं तथा अपनी ही तरह से पूर्वतैयारी योजनाएँ अपनी-अपनी क्षमताओं एवं संसाधनों के अनुसार बनाते हैं। स्थानीय संगठनों द्वारा अपनाई गई कई उत्कृष्ट विपदा कम करने की पहलें यथा-गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाई गई पाठशाला सुरक्षा एवं समुदाय आधारित पूर्वतैयारी जैसी योजनाओं को अभी तक आम राष्ट्रीय पहलों में समाहित नहीं किया गया है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर विपदा प्रबंधन विभागों एवं स्थानीय स्तर पर समुदायों द्वारा की गई पहलों के बीच अंतराल रह जाता है। सभी समुदायों के लिए उपयोगी राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन योजना उपलब्ध कराने के लिए समुदायों के विचारों तथा पहलों को समायोजित रूप में कार्यरूप दिया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान का विनिमय और अधिक सुधार के साथ होना चाहिए। प्राकृतिक विपदाओं से बारंबार असरग्रस्त होने के कारण बंगलादेश को विपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रयास और अधिक वेग से करने चाहिए। एक विशिष्ट प्रकार के विपदा संभावित देश होने के कारण इसके असुरक्षित स्थिति में रहनेवाले सदस्यों को भावी विपदाओं का सामना करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। विपदा पूर्वतैयारी में समुदाय को सहायक होने तथा सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय सरकार प्रवर्तमान प्रणालियों को इसमें समाहित करे तथा इनमें सहायक होनेवाली विपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करे। ■

दुर्योग निवारण-प्रभावी विपदा पूर्वतैयारी हेतु एक नेटवर्क

दुर्योग निवारण दक्षिण एशिया में कार्यरत विपदा पूर्वतैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण पहल को आगे बढ़ानेवाला करीब ५० व्यक्तिगत संस्थागत सदस्यों का एक नेटवर्क है। वे जिन उपायों पर बल देते है वे असुरक्षित स्थिति विश्लेषण एवं सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। इस नेटवर्क में मुख्य रूप से पाँच विषयों पर प्रकाश डाला जाता है : असुरक्षित स्थिति को समझना; सामाजिक जुड़ाव को समझना, जवाबदेयता को बढ़ाना, क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि करना, तथा पारंपरिक ज्ञान एवं क्षमताओं को आगे लाना।

वर्ष १९९६ में इसकी स्थापना के समय से ही इस नेटवर्क के सदस्यों ने निम्नलिखित कार्यों में सफलता प्राप्त करके अपना योगदान दिया है :

- प्रकाशन-सार-संग्रह;
- प्रशिक्षण-वर्ष १९९९ में दक्षिण एशिया में सी.बी.डी.आर.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को शुरु करके;
- शोध-असुरक्षित स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करके;
- समुदाय आधारित पहल एवं ज्ञान को एक दूसरे के साथ बाँटकर क्षेत्रीय कार्य करके;
- नीतिगत पहल-सार्क नीति संवाद;
- अंतरराष्ट्रीय फोरमों में प्रतिनिधित्व-कोबे डबल्यू.सी.डी.आर., जिनेवा में आई.एस.डी.आर. वैश्विक मंच;
- क्षेत्र में विपदा प्रबंधन विषयक मुद्दों पर विचार-विमर्श एवं चर्चा हेतु एक फोरम उपलब्ध कराकर विशेष रूप से इलैक्ट्रॉनिक साधनों एवं इंटरनेट के माध्यम से;
- विभिन्न ज्ञान विषयक साहसिक कार्यों में प्रतिभागिता करके, तथा
- मीडिया के साथ जुड़कर।

यह नेटवर्क मुख्य रूप से ई-मेल समूहों से जुड़ा हुआ है तथा संचार हेतु डबल्यू.डबल्यू.डबल्यू. से जुड़ा हुआ है तथा यह अपने क्षेत्रीय सदस्यों को सूचना प्रदान करता है तथा उन्हें सक्रिय रखता है। इसके नेटवर्क की गतिविधियाँ दक्षिण एशिया के सभी देशों में फैले होने के कारण सभी स्तरों पर विपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में सूचनाओं एवं ज्ञान के आदान-प्रदान का मुख्य स्रोत है। ■

६ स्रोत : प्राकृतिक विपदाओं हेतु विपदा पूर्व तैयारी। बंगलादेश में इसकी वर्तमान स्थिति। समाकलित अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय विकास केन्द्र (आई.सी.आई.एम.ओ.डी.), काठमांडू, नेपाल, जून, २००७।

सी.बी.डी.आर.एम. के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समुदायों की पुनः प्राप्ति

एक समुत्थानशील समुदाय की विशेषताएँ क्या है? सी.बी.डी.आर.एम. के प्रभावों को कैसे मापा जा सकता है? इस दो प्रश्नों के उत्तर अत्यंत आसान है तथा उन्हें आसानी से ढूँढा जा सकता है तथा इस आलेख में इसी दिशा में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

समुत्थान में प्रणाली की उस क्षमता को निरुपित किया जा सकता है जिसे समुदाय या समाज विपदाओं को अपनाने के प्रति पूर्णतः सक्षम होने, कार्य करने के स्वीकृत स्तर को बनाए रखने एवं उसके अनुरूप परिवर्तन लाकर पहुँच बनाने तथा ढाँचे के अनुरूप कार्य करने को समाहित किया जाता है। यह कार्य उस हद तक किया जाता है जिसे सामाजिक प्रणाली अपनी क्षमता के अनुरूप संगठित करके क्षमतापूर्वक कर सके तथा इसमें और अच्छी भावी सुरक्षा लाने और जोखिम न्यूनीकरण उपायों में सुधार करके भूतकाल में आई विपदाओं से सीख लेकर कार्य किया जाता है।[७] अतः इस समुत्थानशीलता में जोखिमों के प्रति भलीभाँति सूचना दी जाती है तथा समुदायों में दूसरी स्थिति एवं विपदा से प्रभावी रूप से निपटने की तैयारियों को समाहित किया जाता है। विपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों में समुदाय को शामिल किया जाता है तथा कुछ संस्थागत प्रबंध भी किए जाते है।

समुदाय को सक्षम करने की लाक्षणिकताएँ

चरण	समुत्थानशील समुदाय की क्षमताएँ	असफलता की संभावनाओं में कमी
विपदा पूर्व	विपदा के प्रभाव के आघातों को सहने की क्षमता ताकि वे विपदाएँ न आएँ	असफलता के परिणामस्वरूप कमी
विपदा पश्चात् तत्काल राहत	विपदा के दौरान तथा विपदा के पश्चात् क्षमताओं की पुनः प्राप्ति	समुत्थान एवं असुरक्षित स्थिति की प्रणालियों हेतु वांछित समय में कमी
विपदा के पश्चात : दीर्घकालीन समुत्थान कार्य	विपदा आने पर परिवर्तन एवं अनुकूलन के अवसर	

अनुकूलित : महत्वपूर्ण दिशानिर्देश : समुदाय आधारित विपदा जोखिम प्रबंधन, एशियाई विपदा पूर्वतैयारी केन्द्र, ए.डी.पी.सी., २००६, बैंगकॉक, थाईलैंड।

एक समुदाय के समुत्थान कार्य के मापन के लिए ए.डी.पी.सी. निम्नलिखित संकेतों का सुझाव देते है :

- एक सामुदायिक संगठन,
- एक डी.आर.आर. एवं डी.पी. योजना,
- एक सामुदायिक आरंभिक चेतावनी प्रणाली,
- प्रशिक्षित मानवशक्ति : जोखिम आकलन, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, राहत सामग्री का वितरण, सुरक्षित मकान बनाने हेतु राजमिस्त्री, अग्निशमन उपकरण।
- स्थानीय प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ भौतिक रूप से जुड़ाव।
- जोखिमों की जानकारी एवं जोखिम न्यूनीकरण कार्य;
- जोखिम न्यूनीकरण कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु सामुदायिक विपदा न्यूनीकरण निधि।
- स्थानीय विपदा की स्थिति से बचने हेतु सुरक्षित आजीविका।

सी.बी.डी.आर.एम. पहलगत लक्ष्य की प्राप्ति उस समय ही हो सकती है जब समुदाय के सभी सामाजिक समूहों की विपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में विपदाओं से पहले, विपदाओं की स्थिति के दौरान तथा विपदाओं के पश्चात् समुत्थान कार्य में भागीदारी हो तथा इसे बनाए रखा जाए। समुत्थान के समुचित स्तर को बनाए रखने की प्रक्रिया एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है जिसमें सरकारों, गैर सरकारी संगठनों एवं समुदाय के सदस्यों के बीच संस्थागत संरचनाओं के निर्माण हेतु निरंतर जुड़ाव की स्थिति पैदा करने की जरूरत है। विपदा जोखिम प्रबंधन के अमलीकरण के अतिरिक्त, इसके मूल्यांकन की सहायता के माध्यम से परिवर्तित संदर्भों के अनुरूप कार्यों को वेग देने की आवश्यकता है। यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाती है तो समुदाय अपने विपदा जोखिम प्रबंधन कार्य को स्वयं कर सकेंगे। ■

अपने रसोई घर एवं जलसंग्रह टंकी के पास राजस्थान के ग्रामीण इलाके में महिलाएँ। छोटे परिवारों में संसाधनों एवं जवाबदारियों के प्रति एक दूसरे को अवगत कराते हुए जिससे स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक विपदाओं के बारे में व्यक्तिगत रूप में भी समझ प्रत्येक व्यक्ति में विकसित हो।

७ यू.एन./आई.एस.डी.आर., २००४ से अनुकूलित परिभाषा।

जोखिम संबंधित आधारभूत ज्ञान से आपको मदद मिल सकती है कि क्या करना चाहिए?

भूकंप होने के समय यदि आप घर के अंदर है तो अंदर ही रहें। यदि आप बाहर है तो बाहर ही रहें। भवन में प्रवेश करने या बाहर निकलने के समय चोट लग सकती है।

खदान... कृषिकार्य ढलानों पर... कृषिकार्य हेतु भूमि की साफ-सफाई... व्यावसायिक जमघट... इन कार्यों से वर्षा के पानी की सतह से ऊपर तक मिट्टी डालकर मृदा-अपरदन को रोका जाता है।

कृषि से संबंधित व्यवसाय विषयक विकल्पों के बारे में विचार करना... सूखे से बचने के लिए धनगत अच्छी दीर्घकालिक पहल के लिए विविधता का उपयोग किया जा सकता है।

सरकारी संदेशों एवं मौसम पूर्वानुमानों के लिए रेडियो चालू रखकर सुनते रहें... यह न भूलें कि प्रचंड तूफान कभी भी फिर आ सकता है।

अगर आप सोचते है कि सूनामी आ सकता है और आप समंदर में हो तो जमीन पर पहुँचे तथा ऊँचे स्थानों पर चले जाएँ।

स्रोत : मीडियाकिट ए.डी.पी.सी. : समुदाय आधारित विपदा जोखिम प्रबंधन एवं मीडिया, ए.डी.पी.सी. २००६, बैंगकॉक, थाईलैंड।

Topics covered in this 62nd Issue of *'Vipada Nivaran'* with focus on Community Based Disaster Risk Mitigation:

1. Community Risk Management in the Bihar Floods 2007 response
2. CBDRM as a Disaster Reduction Approach is on a Tipping Point
3. Communities at the Base of Disaster Risk Management
4. The Local and National Capacity Building Trainings of AIDMI
5. Through Advocacy to Policy and Social Change
6. Microfinance Helping the Members of a Community to Develop Business
7. Learning about Disaster Risks as a Means to Community Empowerment
8. The Importance of Livelihood Security to Strengthen Communities
9. Safer Livelihood Practices in Tamil Nadu after the 2004 Tsunami
10. National Disaster Preparedness should Integrate Communities' Initiatives Example of Bangladesh
11. Resilient Communities Resulting from Successful CBDRM Implementation
12. Basic Knowledge about Hazards will Help you Know What to do?

आप नियमित रुप से 'विपदा निवारण' पाना चाहते है तो कृपया ऑल इन्डिया डिज़ास्टर मिटिगेशन इन्स्टिट्यूट को पत्र या इ-मेइल के जरिए बताएँ।

मुद्रक - श्रीजी प्रिन्टोरियम
१२, निरव शॉपिंग सॅन्टर
मणिनगर,
अहमदाबाद - ३८० ००८

PRINTED MATTER
Book-Post

प्रति श्री, ____________________

____

____

(कृपया अंक न मिलने पर नीचे दर्शाये पते पर वापस भेजें।)

ऑल इन्डिया डिज़ास्टर मिटिगेशन इन्स्टिट्यूट
४११, साकार-पाँच, नटराज सिनेमा के पास, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद - ३८० ००९
फोन : ००९१-७९-२६५८ ६२३४ / २६५८ ३६०७, फेक्स : ००९१-७९-२६५८ २९६२
E-mail: bestteam@aidmi.org, Website: http://www.aidmi.org, www.southasiadisasters.net